69/2010 द्वारकाप्रसाद — सरकार

दिनांक	आज्ञा पत्र	कार्यवाही
26-4-18	वकुलाये अपीलांट उप० / बहस अपील पर सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने आराजी ख०नं० 2521/1042 रकबा 45.5050 ग्राम जयसनपुर में से 400 वर्गगज भूमि पर चार दीवारी एवं मकान बना कर आबाद है। जिसके बाबत पटवारी हलका ने गांव की पार्टी बाजी के चलते तहसीलदार को रिपोर्ट कर दी की मौके पर अपीलांट उक्त भूमि में से 400 वर्गगज पर नाजायज कब्जा कर लिया। जबकि इस भूमि पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से आबाद है। अपीलांट मय परिवार आबाद है। अदालत	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि में से 400 वर्गगज का पट्टा दिया हुआ है। अदालत मातहत ने पट्टे को इस भूमि का न मानकर अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट के पास इस पट्टे शुदा भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। अपीलांट को इस भूमि से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट बेघर एवं बर्बाद हो जायेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक बताते हुये अपीलांट की अपील को खारिज करने का निवेदन किया।	४०८

बहस बगैर समाहत की गई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अदालत मातहत ने अपने निर्णय में
दर्ज किया है कि अपीलांट के पास
जो पट्टा है वह खसरा नं० 2521/1042
में से जारी होना नहीं पाया जाकर
बिना खसरा नम्बर के पट्टा है जिससे
यह नहीं माना जा सकता कि जो पट्टा
अपीलांट के पास है वह इसी आराजी
का है। अपीलांट ने ऐसी कोई साक्ष्य
पेश नहीं की है जिससे पट्टा
ख० नं० 2521/1042 में से ही है माना
जावे। अदालत मातहत ने अपना
निर्णय सही दिया है जिसमें हम
किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं
मानते। अपील अपीलांट खारिज की
जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर
झुंझुनूं का निर्णय दि० 26-10-10 एवं
तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय 7-6-10 यथावत
रखा जाता है। निर्णय सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं [illegible] राजस्व अपील अधिकारी सीकर

// फैसला — [illegible] 9/5/[illegible]